दिनांक 03.01.2019 को अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में बेकार, क्षतिग्रस्त वाहनों को सचिवालय परिसर से हटाने से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति

संलग्न सूची के अनुसार

1. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपस्थित विभागों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि सचिवालय परिसर में लगे बेकार, खराब, क्षतिग्रस्त वाहनों को समयबद्ध निलामी करा दें। उक्त कार्रवाई 01 महीने के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। किसी भी परिस्थिति में सचिवालय परिसर में एक माह के पश्चात् बेकार/क्षतिग्रस्त वाहन न दिखाई दें।

(अनुपालनः सभी विभाग/पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा, सचिवालय)

2. जिन विभागों को वाहन निलामी करनी है, वे संबंधित वाहन का ऑनरबुक तथा वाहन का भैल्यूएशन करवाकर एम.भी.आई. के पास भेजेंगे और एम.भी.आई. निलामी की न्यूनतम राशि निर्धारित करेंगे।

(अनुपालनः संबंधित विभाग/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना)

3. बैठक में पदाधिकारियों द्वारा पृच्छा की गई कि अगर किसी गाड़ी का कागजात नहीं है तो उस परिस्थिति में क्या कार्यवाही की जाय ?

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि वाहन के नंबर से डूप्लीकेट कागजात तैयार कर लेने का प्रावधान है। निर्देश दिया गया कि यदि वाहन पटना के अतिरिक्त किसी दूसरे जिले से रजिस्टर्ड है और उसका कागजात नहीं है तो यही प्रक्रिया संबंधित जिले से कराया जाए।

(अनुपालनः संबंधित विभाग/जिला परिवहन पदाधिकारी)

4. वैसे वाहन जिनके ऊपर कोई नम्बर अंकित नहीं है तथा यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वह वाहन किस विभाग का है, वैसे वाहन के संबंध में पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा, सचिवालय अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग से आदेश प्राप्त कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालनः पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा, सचिवालय)

5. ऐसे वाहन जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से निबंधित है के संबंध में मुख्य सचिव महोदय से अनुमति प्राप्त कर, उस वाहन की निलामी हेतु जिला पदाधिकारी, पटना को प्राधिकृत करने की कारवाई की जाय।

(अनुपालनः संबंधित विभाग)

6. अंत में अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि आज दिनांक 03.01.2019 की बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारी ही अगली बैठक को वे स्वयं निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। अगली बैठक **दिनांक 20.02.2019 के 10:30 बजे पूर्वाह्न** में निर्धारित की जाती है। जिला

(13)

परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे अपने दोनों एम.भी.आई. को अगली बैठक में निश्चित रूप से लेकर आयेंगे।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

ह०/–

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 19/ले2का-36/2018/339 पटना, दिनांक 9.1.19

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा, सचिवालय परिसर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/01/19

(अवनीश कुमार सिंह)
उप सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।